भारतसरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेलमंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवेबोर्ड/RAILWAY BOARD

सं.2020/टेली/आरसीआईएल/1(एसटीएम-4) (3316818) नई दिल्ली, दिनांक: 11.12.2020

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

दूरसंचार परिपत्र सं. 12/2020

विषय: एसटीएम-4 बैंडविड्थ दरों का निर्धारण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 07.06.2017 और 25.10.2017 का पत्र संख्या 2005/टेली/आरसीआईएल/1 पं.III.

रेल मंत्रालय का रेलटेल को रु.4824/- प्रति किलोमीटर प्रतिवर्ष (लागू करों को छोड़कर) एसटीएम-4 बैंडविड्थ लीज शुल्क के निर्धारण हेतु अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ एतद द्वारा संसूचित किया जाता है: -

1. रु.4824/- + सांविधिक करों की दर के निर्धारण के साथ, एसटीएम-4 बैंडविड्थ प्रभार पर 500 किमी की सीमा होगी अर्थात किसी विशेष खंड के लिए जहां रेलटेल से ली गई एसटीएम-4 बैंडविड्थ पर 500 किमी से अधिक का प्रभार लागू है, उस खंड के लिए भी प्रभार केवल 500 किमी तक सीमित रहेगा।
2. एसटीएम-4 बैंडविड्थ शुल्क के भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 07.06.2017 के पत्र, या बाद में यथा संशोधित, के अधीन जारी रहेगी।
3. रु.4824/- + सांविधिक करों की प्रस्तावित दरें दिनांक 01.07.2020 से लागू होंगी।
4. बहरहाल, दिनांक 01.07.2020 से पहले के भुगतान के लिए सभी चालानों को बोर्ड के पत्र दिनांक 25.10.2017 के अंतर्गत पहले से अनुमोदित 6432/- रुपये की दरों, करों को छोड़कर, के अनुसार संसाधित किया जाना जारी रहेगा।

इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।

हस्ता.

(धर्मेंद्र सिंह)
निदेशक/दूरसंचार
फोन: 011-23388504, 030-44613
फैक्स:011-23304690, 030-44690
ई-मेल-dtele@rb.railnet.gov.in

सं.2020/टेली/आरसीआईएल/1(एसटीएम-4) (3316818) नई दिल्ली, दिनांक: 11.12.2020

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें
2. भारत के उपनियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (रेलें),कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

हस्ता.
कृते सदस्य (वित्त)

प्रतिलिपिप्रेषित:

1. वित्त(व्यय)-।। और बजट शाखाएं, रेलवे बोर्ड।
2. मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर, सभी भारतीय रेलें।
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल), प्लॉट-ए, छठी मंजिल, ऑफिस टॉवर-2, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली– 110023.